तत्काल

संख्या 11030/42/87-अ0भा0से0(II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5-11-~~अक्तूबर~~, 1987

सेवा में,
सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिव ।

विषय:- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 1968-चयन ग्रेड में भारतीय वन सेवा के सदस्यों के वेतन का विनियमन ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चयन ग्रेड में भारतीय वन सेवा के सदस्यों के वेतन के विनियमन संबंधी प्रश्न पर सरकार द्वारा इस आशय के अभ्यावेदनों के संदर्भ में विचार कर लिया गया है कि भारतीय वन सेवा का कोई भी सदस्य उस समय जबकि वह चयन ग्रेड में रू0 4100-5300 के वेतनमान में नियुक्ति का पात्र होता है, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 4200/-रू0 वेतन ले रहा होता है और इसलिए उसका वेतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के मामलों में, जिस प्रकार चयन ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में वेतन नियत किया जाता है उससे भिन्न तरीके से, रुपए 100/- के वैयक्तिक वेतन सहित जो कि भावी वेतनवृद्धियों में समायोजित हो जाता है, रू0 4100/- पर नियत किया जाता है ।

2. अत: यह निर्णय किया गया है कि भारतीय वन सेवा के सदस्य की चयन ग्रेड में नियुक्ति होने पर, चयन ग्रेड में उसका प्रारंभिक वेतन रू0 4350/- प्रति मास पर नियत किया जाएगा । चयन ग्रेड में वेतनवृद्धि, चयन ग्रेड में नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने पर अनुज्ञेय होगी ।

भवदीय,

वी आर श्रीनिवासन
(वी0आर0श्रीनिवासन)
उप सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित:-

(i) राज्यों के सभी महालेखाकार ।
(ii) पर्यावरण और वन मंत्रालय ।
[श्री ... , उप सचिव]

वी आर श्रीनिवासन
(वी0आर0श्रीनिवासन)
उप सचिव, भारत सरकार

गार्ड फाइल के लिए